

आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013

में

आरक्षी नागरिक पुलिस

के पद पर भर्ती हेतु चयनित

अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन कराये जाने

हेतु

प्रबन्ध एवं दिशा-निर्देश

से सम्बन्धित बुकलेट

आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2013

के चयन परिणाम में

आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु

चयनित अभ्यर्थियों का

चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु प्रबन्ध एवं निर्देश

अनुक्रमणिका

क.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	चरित्र सत्यापन प्रपत्र भराये जाने हेतु दिशा-निर्देश	1
2	परिपत्र संख्या दस-51-2013 दिनांक 20.09.2015 की प्रति	2 से 4
3	G.O.No. 4694/II-B-321-1947 दिनांक 28.4.1958(चरित्र सत्यापन हेतु दिशा-निर्देश)	5 से 10
4	शपथ-पत्र का प्रारूप	11
5	उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप	12
6	दैनिक प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप (पुलिस मुख्यालय के ई-मेल पते पर सूचना भेजे जाने हेतु)	13
7	पुलिस मुख्यालय को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु 26 कालम का प्रारूप	14
8	चरित्र सत्यापन की पत्रावलियाँ तैयार कर आवंटित जनपद को भेजे जाने का प्रारूप	15

चरित्र सत्यापन प्रपत्र भराये जाने हेतु दिशा-निर्देश

- आरक्षी नागरिक पुलिस के पद हेतु चयनित अभ्यर्थी के ओएमआर आवेदन-पत्र में अंकित स्थाई व सभी अस्थाई/पत्राचार के पतों, जहाँ विगत 05वर्षों में एक वर्ष से अधिक अवधि के प्रवास पर रहा हो तथा अभिसूचना विभाग से चरित्र सत्यापन हेतु प्रत्येक के लिए अलग-अलग पुलिस प्रपत्र संख्या-92 भरवाये जायेंगे।
- जनपद स्तर पर चरित्र सत्यापन की कार्यवाही हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। जनपद के नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में दो टीमों कार्य करेगी। एक टीम जनपद के अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी तथा दूसरी टीम अन्य जनपदों से प्राप्त होने वाले चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करायेगी। यह कार्यवाही प्रत्येक दशा में 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना अपेक्षित होगा।
- चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त सम्बन्धित अभ्यर्थियों के समस्त अभिलेख (यथा ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र, शैक्षिक, आरक्षण सम्बन्धी सभी प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट आदि) पत्रावली के रूप में जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा संकलित करके भली-भाँति परीक्षण करा लिया जायेगा तथा अभिलेख एवं डाटा त्रुटिरहित एवं सही पाये जाने पर उनकी हार्ड एवं साफ्ट प्रति तैयार कराकर पत्रावली के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा। जिन्हें अभ्यर्थी के आवंटन के जनपद को यथासमय विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
- जनपद स्तर पर उपर्युक्तानुसार अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन से सम्बन्धित सभी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के आवंटन के जनपद को उनके समस्त अभिलेख (यथा ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र, शैक्षिक, आरक्षण सम्बन्धी सभी प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट आदि) पत्रावली के रूप में तत्समय विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। आवंटित जनपद के प्रभारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक चयनित अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन से पूर्णतया संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति पत्र जारी करेंगे।
- चरित्र सत्यापन की प्रतिदिन की कार्यवाही की समीक्षा हेतु तकनीकी सेवायें द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के वेबसाइट पर लोड किये जाने वाले प्रोग्राम पर आन लाइन फीडिंग कराया जाना अपेक्षित होगा।
- चरित्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति का विवरण उपस्थिति रजिस्टर के संलग्न प्रारूप के अनुसार तैयार किया जायेगा।
- प्रत्येक जनपद में बतौर नोडल अधिकारी एक पुलिस उपाधीक्षक द्वारा निम्नवत कार्यवाही की जायेगी :-
 - (क) प्रतिदिन चरित्र सत्यापन कार्य की प्रगति की समीक्षा;
 - (ख) जनपद के अन्तर्गत चरित्र सत्यापन तथा अन्य जनपदों से प्राप्त होने वाले चरित्र सत्यापन समय से पूर्ण कराने हेतु प्रभावी अनुश्रवण की कार्यवाही;
 - (ग) चरित्र सत्यापन के उपरान्त संकलित रूप में जनपदीय/अभिसूचना मुख्यालय के चरित्र सत्यापन के परिणाम के अनुसार अगली अपेक्षित कार्यवाही।
- अभ्यर्थीगण चरित्र सत्यापन हेतु अपने गृह जनपद के पुलिस कार्यालय में अपने साथ प्रवेश-पत्र, दस रुपये के नॉन-जुडीशियल स्टाम्प पर तैयार नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र(प्रारूप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट <https://uppolice.gov.in> पर उपलब्ध है), अन्तिम शिक्षा प्राप्ति के शिक्षण संस्थान के प्रमुख/प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र तथा आचरण का प्रमाण-पत्र तथा पर्याप्त संख्या में पास-पोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर उपस्थिति होंगे।
- प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक उप निरीक्षक ना0पु0 के नेतृत्व में सहायता केन्द्र स्थापित कर उसके माध्यम से अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाईयों का समाधान किया जाय।
- चरित्र सत्यापन की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का निकटतम पर्यवेक्षण अत्यन्त आवश्यक है।

सेवा में,

1. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय : आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2013 के चयन परिणाम में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया पुलिस महानिरीक्षक-स्थापना उ0प्र0 के पत्रांक डीजी-चार-120(10)2015(आरक्षी रिजल्ट-2013) दिनांक 16.9.2015 एवं अपर सचिव-भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्रांक पीआरपीबी-अनु-6-प-6/2015(पार्ट-1।) दिनांक 16.9.2015 द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2013 के चयन परिणाम उपलब्ध कराये गये हैं, के सापेक्ष चयनित आरक्षी नागरिक पुलिस के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. आरक्षी नागरिक पुलिस के कुल 33,495 चयनित अभ्यर्थियों में से प्रथम चरण में श्रेष्ठताक्रम में प्रथम पचास प्रतिशत अर्थात् श्रेष्ठताक्रमांक-1 से प्रारम्भ होकर श्रेष्ठताक्रमांक-16748 तक के अभ्यर्थीगण के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 23.9.2015 से पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत सूची में दर्शाये गये अभ्यर्थी के गृह जनपद के वरिष्ठपुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रारम्भ होगी।

3. उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 (यथासंशोधित) के नियम 16 के अनुसार चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन के अध्यक्षीन होगी। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र के जारी करने के पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन चरित्र पुष्टि पूर्ण की जायेगी। चरित्र पुष्टि के दौरान चरित्र पुष्टि प्रतिकूल पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होंगे।

4. संगत नियमावली के नियम 15(छ:)(दो) में सफल अभ्यर्थियों की सूची, उसके अनुमोदन तथा चरित्र सत्यापन आदि के सम्बन्ध में किये गये प्रावधान निम्नवत है :-

"बोर्ड आरक्षण नीति संबंधी दिशा-निर्देशों और बोर्ड को अधिसूचित की गई रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों को उनकी श्रेष्ठताक्रम में एक चयन सूची तैयार करेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन के अध्यक्षीन होगी। चयन सूची विभागाध्यक्ष को अग्रसारित की जायेगी जो उसे अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।"

5. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत सूची में दर्शाये गये अभ्यर्थी के गृह जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि अपने स्तर से अभ्यर्थी के ओएमआर आवेदन-पत्र में अंकित स्थाई व अस्थायी पतों के जनपदों एवं अभिसूचना मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ से चरित्र सत्यापन की समस्त कार्यवाही विशेष वाहक के माध्यम से एक सप्ताह में पूर्ण करा ली जाय। उक्त के अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी विगत 05 वर्षों में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जहाँ प्रवास पर रहा हो, वहाँ से भी चरित्र सत्यापन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाय।

6. ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, उनका चरित्र सत्यापन उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जनपद के प्रभारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित राज्य में अभ्यर्थी के निवास के जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक एवं उस राज्य के अभिसूचना मुख्यालय से चरित्र सत्यापन की कार्यवाही कराकर परिपूर्ण आख्या प्राप्त की जायेगी। उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जनपद के प्रभारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि उनके स्तर से ऐसे अभ्यर्थियों के ओएमआर आवेदन-पत्र बोर्ड से प्राप्त करा लिए जायें तथा उसमें अंकित स्थायी व अस्थायी पते तथा इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अंकित कराये गये पते के जनपदों एवं उस राज्य के अभिसूचना मुख्यालय से चरित्र सत्यापन की कार्यवाही समय से विशेष वाहक के माध्यम से इस प्रकार पूर्ण करायी जाय कि उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे।

7. अभ्यर्थी के गृह जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्यापन की समस्त कार्यवाही सम्पन्न कराने के पश्चात् अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की पत्रावली पुलिस मुख्यालय द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु आवंटित जनपद को सीलबन्द लिफाफे में विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। शीघ्र ही पुलिस मुख्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के नियुक्ति के जनपद आवंटित कर सूची सम्बन्धित जनपदों को प्रेषित की जायेगी। नियुक्ति हेतु आवंटित जनपद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत करने से पूर्व प्रस्तर 8 में सत्यापन की समस्त कार्यवाही की पुष्टि

कर लेने के पश्चात ही नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे। चरित्र पुष्टि प्रतिकूल पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और उस आदेश की प्रति के साथ अभ्यर्थी का सम्पूर्ण विवरण पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर अनुपयुक्त घोषित करने वाले आदेश की प्रति पहले पुलिस मुख्यालय से अनुमोदित करा ली जाय तथा उसके उपरान्त ही उसे जारी किया जाय।

8. चरित्र सत्यापन की कार्यवाही निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी :-

- (क) शासनादेश संख्या 4694/II-8-321-1947 दिनांक 28.4.1958 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के समय चरित्र सत्यापन की कार्यवाही की जाती है। पुलिस विभाग में चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस प्रपत्र संख्या-92 पहले से ही प्रचलन में है। यह प्रपत्र प्रदेश के सभी जनपदीय पुलिस कार्यालयों में उपलब्ध है। अतः चयनित अभ्यर्थियों से पुलिस प्रपत्र संख्या-92 की प्रविष्टियों को दो प्रतियों में भरकर प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जायेगी। इस प्रपत्र में अभ्यर्थियों द्वारा ओएमआर आवेदन-पत्र में दिये गये स्थायी निवास स्थान के साथ अस्थायी निवास स्थान (जो एक से अधिक हो सकते हैं) के अनुसार ऐसे प्रत्येक अस्थायी निवास स्थान जहाँ विगत पाँच वर्षों में अभ्यर्थी द्वारा एक वर्ष से अधिक निवास किया गया हो, के लिए पुलिस प्रपत्र संख्या-92 की एक-एक अतिरिक्त प्रति भी भरायी जायेगी और अभ्यर्थियों द्वारा दर्शाये गये स्थायी तथा अस्थायी निवास स्थान के प्रत्येक जनपद से उनके चरित्र सत्यापन की कार्यवाही नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार पूर्ण करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 28.4.1958 के साथ संलग्न तृतीय प्रारूप को भरकर एवं संलग्न द्वितीय प्रारूप में दो व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण-पत्र (जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 06 माह के अन्दर निर्गत किया गया हो) को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अतः इसके लिए जनपद स्तर पर राजपत्रित अधिकारी की अध्यक्षता में ऐसी टीम गठित की जाय जो इस कार्य को समय से पूरा करे। उपर्युक्त शासनादेश में यह व्यवस्था दी गयी है कि नियुक्ति प्राधिकारी यह उल्लिखित कर सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्तियों से अभ्यर्थी द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाय। अतः उचित होगा कि चरित्र सत्यापन के समय उसके निवास के 02 सम्मान्त व्यक्तियों से अभ्यर्थी के चरित्र/चाल-चलन के संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जायें। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अभ्यर्थी से उस शैक्षिक संस्थान के प्रमुख से चरित्र एवं आचरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जहाँ से अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की हो। यदि आवेदन के समय यह प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त किये गये हैं तो चरित्र सत्यापन के समय इन प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (ख) नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप में 10/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। शपथ-पत्र में दी गयी सूचना के गलत पाये जाने अथवा किसी तथ्य को छिपाये जाने पर उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त करते हुए विधि व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। शपथ-पत्र का प्रारूप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट <https://uppolice.gov.in> पर उपलब्ध है जिसका एक प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। अभ्यर्थीगण उक्त वेबसाइट से शपथ-पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।
- (ग) अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन वाले जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का दायित्व होगा कि वह आवेदन-पत्र में अंकित स्थायी/अस्थायी पता के जनपदों एवं अभिसूचना मुख्यालय को विशेष वाहक के माध्यम से भेजकर एक सप्ताह में चरित्र सत्यापन पूर्ण कराये तथा उनमें विद्यमान कमियों को भी अपने स्तर से पूर्ण कराये।
- (घ) चरित्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति का विवरण उपस्थिति रजिस्टर के संलग्न प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। चरित्र सत्यापन के कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक जनपद में एक पुलिस उपाधीक्षक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाय जो जनपद द्वारा निर्गत चरित्र सत्यापन तथा जो चरित्र सत्यापन अन्य जनपदों से प्राप्त हों, उन्हें भी समय से पूर्ण कराने हेतु प्रभावी अनुश्रवण की कार्यवाही करेंगे। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि चरित्र सत्यापन के उपरान्त संकलित रूप में जनपद/अभिसूचना मुख्यालय के चरित्र सत्यापन के परिणाम के अनुसार अगली अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
- (च) नोडल अधिकारी प्रत्येक दिन की कार्यवाही उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर आरक्षियों के चरित्र सत्यापन सम्बन्धी दैनिक सूचना प्रतिदिन भरवाना सुनिश्चित करेंगे।
- (छ) यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र/अभिलेख सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित करने के सम्बन्ध में नियमावली में विहित संगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (ज) यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र में अंकित तथ्य गलत पाये जायें तो भर्ती के लिए अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा और यदि भर्ती के बाद भी भविष्य में कोई गलत तथ्य पाये जायें तो अभ्यर्थी को बिना शर्त उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद की सेवा से पृथक् कर दिया जायेगा तथा वैधानिक दण्ड की कार्यवाही की जायेगी। शपथ-पत्र में इस आशय की सहमति प्रत्येक अभ्यर्थी से अपेक्षित होगी।

(झ) यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत हुए हैं अथवा ऐसे पंजीकृत मामले विवेचना से उनके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित होकर विचाराधीन न्यायालय हैं या किसी आपराधिक मामले में धारा-169 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत रिहा हुए हैं या भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उद्यम व संस्थान से सेवा से विमुक्त किये गये हैं अथवा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुए हैं अथवा नैतिक अधमता के मामले विचाराधीन हैं जिनकी शपथ-पत्र में घोषणा नहीं की गयी है तथा उन्हें छिपाया गया है अथवा गुमराह किया गया है तो ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुपयुक्त (UNFIT) घोषित किया जायेगा और उसका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जायेगा जिस पर अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में मा0सक्षम न्यायालय के निर्णय/आदेश में दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त किया जाता है तो शासनादेश संख्या 4694/II-8-321-1947 दिनांक 28.4.1958 में विहित प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रत्येक मामले को जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिस जिले में अभियोग पंजीकृत हुआ था, उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को संदर्भित करेंगे और सम्बन्धित अभ्यर्थी के आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए उपयुक्त होने अथवा उपयुक्त नहीं होने के सम्बन्ध में उनकी सुस्पष्ट संस्तुति/अभिमत प्राप्त करेंगे जिसके अनुसार ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति के बारे में जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सुविचारित निर्णय लेंगे।

9. अभ्यर्थीगण से अपेक्षित है कि वे चरित्र सत्यापन के समय अपने साथ पर्याप्त संख्या में पास-पोर्ट साइज के फोटोग्राफ लेकर जायेंगे।

10. चयनित अभ्यर्थियों की सुगमता के लिए प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक उप निरीक्षक ना0पु0 के नेतृत्व में एक सहायता केन्द्र की भी स्थापना कर दी जाय जो अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाईयों का सम्यक समाधान सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा चरित्र सत्यापन से सम्बन्धित कोई भी सूचना अथवा जानकारी उक्त सहायता केन्द्र से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

11. चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 07 दिवस के अन्तर्गत पूर्ण करायी जानी है। इसे समयान्तर्गत पूर्ण कराने के लिए जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक का निकटतम पर्यवेक्षण नितान्त आवश्यक है।

12. परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक कृत कार्यवाही की स्वयं भी समीक्षा करते हुए जनपद स्तर पर नियत समयावधि में चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकगण को अपना मार्ग-दर्शन देने का कष्ट करें।

13. शासनादेश संख्या 4694/II-B-321-1947 दिनांक 28.04.1958, चरित्र सत्यापन प्रपत्र भराये जाने हेतु दिशा-निर्देश, उ0प्र0 पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008(यथासंशोधित जून, 2013) में विहित संगत प्रावधान/व्यवस्थायें, शपथ-पत्र का प्रारूप, पुलिस मुख्यालय को सूचना भेजे जाने हेतु 26कालम का प्रारूप, उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप, दैनिक प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप, अनुक्रमणिका आदि संलग्न कर प्रेषित हैं।

14. चरित्र सत्यापन की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु नियत दिनांक 23.9.2015 से पहले यदि बोर्ड से अभ्यर्थियों के ओ.एम.आर./आवेदन-पत्र एवं उनकी प्रमाणित छायाप्रतियाँ प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो भी पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत सूची में दर्शाये गये अभ्यर्थी के गृह जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उनका चरित्र सत्यापन की कार्यवाही अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रारम्भ करायी जायेगी। बोर्ड से ऐसे अभ्यर्थियों के ओ.एम.आर./आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उनका मिलान कराने पर ठीक पाये जाने के उपरान्त ही चरित्र सत्यापन की कार्यवाही को पूर्ण माना जायेगा।

15. अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की इस कार्यवाही को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जाय एवं प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में चरित्र सत्यापन पूर्ण कराकर उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक: यथोपरि।


(भगवान् स्वरूप)

पुलिस उपमहानिरीक्षक-स्थापना,
उ0प्र0।

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस महानिरीक्षक-स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

क्रम संख्या-1

SECRET

No. 4694/II-B—321-1947

FROM

SRI GOVIND NARAIN, I.C.S.,
MUKHYA SACHIVA,
UTTAR PRADESH SHASAN.

TO

- (1) ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND PRINCIPAL HEADS OF OFFICES, UTTAR PRADESH.
- (2) ALL COMMISSIONERS OF DIVISIONS, UTTAR PRADESH.
- (3) ALL DISTRICT OFFICERS, UTTAR PRADESH.

Appointment (B) Deptt.

Dated Lucknow, April 28, 1958

Subject : Verification of the character and antecedents of government servants before their first appointment.

I AM directed to refer to Appointment (B) Department Secret G. O. no. 2712/II-B—321-1947, dated November 9, 1953 in which detailed instructions were issued regarding the method of verifications of character and antecedents of candidates for appointment under the State Government. These instructions were later on revised in this Department Secret G. O. no. 4637/II-B—321-47, dated December 4, 1957. It has been noticed that difficulty is being experienced by some appointing authorities in correctly interpreting the instructions issued in the Government Order, dated December 4, 1957. It has also been found that these instructions are not fully comprehensive to cover all the cases. The Governor has therefore been pleased to lay down the following instructions in supersession of all the previous orders on the subject.

The rule regarding character of candidate for appointment under the State Government shall continue to be as follows :

"The character of a candidate for direct appointment must be such as to render him suitable in all respects for employment in the service or post to which he is to be appointed. It would be the duty of the appointing authority to satisfy itself on this point.

3. (a) Every direct recruit to any service under the Uttar Pradesh Government will be required to produce :

(i) A certificate of conduct and character from the head of the educational institution where he last studied (if he went to such an institution).

(ii) Certificates of character from two persons. The appointing authority will lay down requirements as to kind of persons from whom it desires these certificates.

(b) In cases of doubt, the appointing authority may either ask for further references, or may refer the case to the District Magistrate concerned. The District Magistrate may then make such further enquiries as he considers necessary.

NOTES—(a) A conviction need not of itself involve the refusal of a certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association with crimes of violence or with a movement which has as its object to overthrow by violent means of Government as by law now established in free India the mere conviction need not be regarded as disqualification. (Conviction of a person during his childhood should not necessarily operate as a bar to his entering Government service. The entire circumstances in which his conviction was recorded as well as the circumstances in which he is now placed should be taken into consideration. If he has completely reformed himself on attaining the age of understanding and discretion, mere conviction in childhood should not operate as a bar to his entering Government service).

(b) While no person should be considered unfit for appointment solely because of his political opinions, care should be taken not to employ persons who are likely to be disloyal and to abuse the confidence placed in them by virtue of their appointment. Ordinarily, persons who are actively engaged in subversive activities including members of any organization the avowed object of which is to change the existing order of society by violent means should be considered unfit for appointment under Government. Participation in such activities at any time after attaining the age of 21 years and within three years of the date of enquiry should be considered as evidence that the person is still actively engaged in such activities unless in the interval there is positive evidence of a change of attitude.

(c) Persons dismissed by the Central Government or by a State Government will also be deemed to be unfit for appointment to any service under this Government.

(c) In the case of direct recruits to the State Services under the Uttar Pradesh Government besides requiring the candidates to submit the certificates mentioned in paragraph 3(a) above the appointing authority shall refer all cases simultaneously to the Deputy Inspector General of Police, Intelligence and the District Magistrate [of the home district and of the district(s) where the candidate has resided for more than a year within five years of the date of the inquiry] giving full particulars about the candidate. The District Magistrate shall get the reports in respect of the candidates from the Superintendent of Police who will consult District Police Records and records of the Local Intelligence Unit. The District Police or the District Intelligence Unit shall not make any enquiries on the spot, but shall report from their records whether there is anything against the candidate, but if in any specific case the District Magistrate, at the instance of the appointing authority asks for an enquiry on the spot, the Local Police or the Local Intelligence Units will do so and report the result to him. The District Magistrate shall then report his own views to the appointing authority. Where the District Police or the Local Intelligence Units report adversely about a candidate, the District Magistrate may give the candidate a hearing before sending his report.

(d) In the case of direct recruits (who are lower in rank than that of a State Service Officer) of :

- (i) the police * (including ministerial staff of Police Offices),
- (ii) the Secretariat,
- (iii) the staff employed in government factories.
- (iv) powerhouses and dams,

besides requiring the candidates to submit the certificates mentioned in paragraph 3(a) above the appointing authorities shall refer all cases simultaneously to the Deputy Inspector General C. I. D. and the District Superintendent of Police, **[of the home district and of the district(s) where the candidate has resided for more than a year within five years of the date of the inquiry] giving full particulars about the candidate. The Superintendent of Police will send his report direct to the appointing authority if there is nothing adverse against the candidate. In cases where the report is unfavourable the Superintendent of Police will forward it to the District Magistrate who will send for the candidate concerned give him a hearing and then, form his own opinion. All the necessary papers (the Superintendent of Police's report, the candidate's statement and the District Magistrate's finding) will thereafter be sent to the appointing authority.

4. It will be seen that in cases of direct recruits to services other than those mentioned in paragraphs 3(c) and 3(d) above, verification shall not be necessary as a matter of routine except in cases of doubt when the procedure mentioned in paragraph 3(b) shall be followed.

5. In the case of a candidate for services mentioned in paragraphs 3(c) and 3(d) above—

(i) if at the time of enquiry the candidate is residing in a locality situated outside Uttar Pradesh or if he has resided in such a locality at any time within five years of the date of enquiry for a period of one year or more it shall be the duty of the Deputy Inspector General, C. I. D. to consult also the C. I. D. of the State concerned in which the locality is situated before making his verification report ;

(ii) if the candidate was residing before partition in area now comprising Pakistan the Deputy Inspector General, C. I. D. shall also make a reference to the Director of Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, in addition to the usual enquiries as indicated above.

6. It has also been observed that where the District Magistrates are required to send the attestation forms they sometimes do not sign the forms themselves, Government consider it very desirable that the attestation forms should invariably be signed by the District Magistrates themselves in all such cases.

7. Other State Governments and Administrations are being informed separately that the verification of character and antecedents of recruits to their services from this State will henceforth be done according to the procedure adopted in the case of recruits to different categories of services under this State Government.

†Substituted vide G. O. no. 3780/II B-321-1947, dated June 11, 1959.

*Added vide G. O. no. 57/II B-212-1950 dated May 22, 1951.

**Added vide G. O. no. 4151/II B-212-1952, January 16, 1953.

8. In order to prevent a candidate, who has been disqualified for Government employment from securing employment in a subordinate or inferior service other than those mentioned in paragraph 3(d), every person recruited to these services should be required at the time of joining his appointment to fill up the form appended as Annexure III to this letter. If he is found to have made a false statement in this connection, he should be discharged forthwith, without prejudice to any other action that may be considered necessary.

9. All questions arising from these orders shall be referred to Government in the Appointment (B) Department for decision.

10. A form each of (i) Particulars about the candidate, (ii) Character Certificate and (iii) Statement of candidates to be used by the enquiring officers is annexed to this letter.

Yours faithfully,
GOVIND NARAIN,
Mukhya Sachiv.

No. 4694 (1)/II-B—321-1947

Copy forwarded for information and necessary action to—

- (1) all Departments of the Secretariat,
- (2) the Deputy Inspector General of Police, C. I. D., Uttar Pradesh, Allahabad,
- (3) the Secretary, Public Service Commission, Uttar Pradesh, Allahabad,
- (4) the Secretary to the Governor, and
- (5) the Registrar, High Court of Judicature at Allahabad.

By order,
P. C. PANDE,
Up Sachiv.